भास्कर ए. सावन्त
आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

अध्यक्ष • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN:U40109RJ2000SGC016486

जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/पीपीएम/पत्रा0/प्रे0 258 दिनांक – 06-11-2015

आदेश

विषय – ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने के संदर्भ में।

निगम के आदेश क्रमांक जेपीआर 5–545 दिनांक 20.05.2009 एवं जेपीआर 5–627 दिनांक 03.10.2011 के अनुसार गैर आबादी क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत सिंगल फेस लाईन एवं 5 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर की सम्पूर्ण राशि आवेदक द्वारा वहन करने पर एकल अथवा समूह में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

समय–समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ढ़ाणियों/खेतों में स्थित आवासों को गैर आबादी मानते हुए स्व–वित्तपोषित योजना के तहत विद्युत कनेक्शन जारी किये जाते हैं, जबकि वहां विद्युत तंत्र उपलबध है एवं विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने के कारण निवासी अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते हैं जिसके कारण निगम को राजस्व हानि हो रही है एवं आम जनता में भी असंतोष व्याप्त हो रहा है क्योंकि वे स्ववित्त पोषित योजना में कनेक्शन पर होने वाला व्यय वहन करने में सक्षम नहीं है।

इस विषय पर दिनांक 02.11.2015 को आयोजित डिस्कॉम समन्वय मंच की बैठक में चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया है कि गैर आबादी क्षेत्र में, जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध है एवं विद्युत तंत्र में विस्तार किये बिना और ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि किये बिना ही यदि केवल सर्विस लाईन से ही कनेक्शन साध्य है (चरागाह एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त) वहां आवेदन करने पर आवेदकों को टीसीओएस–2004 के अनुसार राशि वसूल कर घरेलू कनेक्शन जारी किये जा सकते हैं। नये कनेक्शन जारी करने हेतु एलटी/एचटी तंत्र का विस्तार नहीं किया जायेगा।

यह योजना अविद्युतिकृत कॉलोनियों में स्थित आवासों पर लागू नहीं होगी।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ————
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता(जयपुर/अजमेर/जोधपुर), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता(पवस), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ————
5. तकनीकी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

मुख्य अभियन्ता(पीपीएम)